संख्या- /X-2-2010-12(39)/2006

प्रेषक,

सुशांत पटनायक
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक
नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन
उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 **देहरादून : दिनांक 22 दिसम्बर, 2010**

विषयः- अनुदान सं0-27 के आयोजनागत पक्ष की केन्द्र पुरोनिर्धानित योजना ''इन्टैंसीफिकेशन आफ फॉरेस्ट मैनेजमैंट'' के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 की वित्तीय स्वीकृति.

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार के पत्र सं0-3-8/2007-FPD दिनांक 15 जून, 2010, पत्र सं0-3-8/2007-FPD दिनांक 13 अगस्त, 2010, आपके पत्र सं0-नि.422/3-6 दिनांक 16 सितम्बर, 2010 तथा पत्र सं0-नि.690/3-6 दिनांक 20 नवम्बर, 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अन्तर्गत संचालित ''इन्टैंसीफिकेशन आफ फॉरेस्ट मैनेजमैंट'' योजना के अन्तर्गत वर्ष चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि तथा पुर्नवैध की गयी धनराशि एवं उनके सापेक्ष राज्यांश की धनराशि को सम्मिलित करते हुए **₹ 1,92,45,000/- (₹ एक करोड़ बानवे लाख पैंतालीस हजार मात्र)** की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. धनराशि का आहरण/व्यय वास्तविक आवश्यकतानुसार किश्तों में किया जाय।
2. उक्त स्वीकृत व्यय भारत सरकार के द्वारा निर्धारित शर्तों एवं अनुमोदित कार्यों/मद पर ही किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग पृथक कार्यों के क्रियान्वयन के लिए न किया जाय।
3. उक्त स्वीकृत व्यय चालू याजेनाओं पर ही किया जाये और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-187/XXVII(1)/2010, दिनांक 30 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति/यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय। शासन द्वारा वांछित सूचनायें एवं विवरण निर्धारित प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्योरमेंट) नियमावली, 2008, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
4. यह संज्ञान में आया है कि धनराशि विभागाध्यक्षों के निर्वतन पर रखने के उपरान्त भी विभागध्यक्षों द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निर्वतन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है। अतः आपके निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दी जाय, जिससे की फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।
5. आहरण-वितरण अधिकारियों तथा तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0-17 पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।
6. अनुदान के अन्तर्गत होने वाली सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।
7. बी0एम0-13 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 20 तारीख तक पूर्व माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय।
8. योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय।

क्रमशः.....2

9. साख-सीमा की त्रैमासिक सीमा उसी प्रकार निर्धारित किया जाय, जैसा कि शासनादेश सं0-ए-2-311/दस-98 दिनांक 29 जून, 1998 के प्रस्तर-2(2) तथा 2(3) एवं वर्तमान में यथा प्रभावी संशोधित आदेश में निर्धारित है, परन्तु यदि उस त्रैमास में साख-सीमा की धनराशि व्यय होने में कोई कठिनाई होती है तो अवशेष धनराशि अगले त्रैमास तक व्यय करने की अनुमति विना वित्त विभाग की सहमति के जारी नहीं की जायेगी.
10. व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस सम्बन्ध में वेतन आदि मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययिता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्ययोजना बना ली जाय तथा तद्नुसार विशेषकर आयोजनेत्तर पक्ष में बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
11. जो निर्माण कार्य आरम्भ किया जा चुके हैं, के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत कार्य, आगणन की धनराशि, निर्गत वित्तीय स्वीकृति इत्यादि का विवरण वित्त विभाग के शासनादेश-485/XXXVII(1)/2009 दिनांक 16 जुलाई द्वारा निर्धारित किये गये प्रक्रियानुसार निर्धारित प्रपत्रों पर प्रशासकीय विभाग, नियोजन विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
12. मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।
13. धनराशि का आहरण/व्यय तथा आवश्यकता ही किया जायेगा तथा व्यय करने से पूर्व वित्तीय नियमों एवं अधिप्राप्ति नियमावली की अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी।
14. उक्त धनराशि का व्यय अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन के पत्र सं0-नि-1925/3-5 दिनांक 05 जून, 2010 द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में से प्राथमिकता के आधार पर भौतिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए किया जायेगा।
15. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक आवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।
16. अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्रावधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सनिश्चित किया जायेगा।
17. निर्माण कार्यों लागत व समय वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कड़ी कार्यवाही व संघन अनुश्रवण किया जायेगा एवं इस हेतु बजट मैनुवल के प्रस्तर-211(डी) की अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी।
18. विभागध्यक्ष द्वारा वर्ष के प्रारम्भ में तथा हर माह की 10 तारीख तक वित्त एवं नियोजन विभाग को केन्द्रसहायतित/बाह्य सहायतित योजनाओं में अनुमोदित परिव्यय के सापेक्ष केन्द्रांश की धनराशि तथा केन्द्र सरकार से प्राप्त हुई धनराशि का विवरण उपलब्ध कराएंगे। उक्त सूचना के अभाव में वित्तीय अधिकारों पर रोक लगा दी जायेगी। केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाले अवशेष धनराशि का विवरण भी प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा।
19. जिन योजनाओं में विगत वर्षों की प्रतिपूर्ति प्राप्त की जानी अवशेष हो इनके परिप्रेक्ष्य में समस्त औपचारिकताऐं पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष का होगा। भारत सरकार को समय से आडिट की हुई प्रतिपूर्ति के देयक प्रसतुत किये जायं, ताकि इसके अभाव में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में कठिनाई/विलम्ब न हो।
20. यह वित्तीय स्वीकृति इस शर्त/प्रतिबन्ध के अधीन भी है कि चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 में अगली वित्तीय स्वीकृति तभी निर्गत की जायेगी, जबकि निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रत्येक योजना के सम्बन्ध में स्टेटस रिपोर्ट अर्थात योजना कब प्रारम्भ की गई, कितने वर्षों के लिए योजना है, योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य कितना है तथा लक्षित योजना के सापेक्ष कितना भौतिक लक्ष्य अभी प्राप्त हो चुका है एवं कितना शेष है, आदि के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा तथा यह भी कि गत वित्तीय वर्ष 2009-10 में निर्गत की गई समस्त वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।
21. उपरोक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि में से पुनर्वैध की गई धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों के लिए किया जायेगा, जैसा कि भारत सरकार द्वारा उक्त उल्लिखित पत्र दिनांक 15 जून, 2010 द्वारा अनुमोदित किया गया है।
22. ऐसे सभी कार्य जो रू0 5.00 लाख से अधिक हैं, का आगणन/प्राक्कलन तैयार कर शासन को उपलब्ध करायी जाय तथा ऐसे आगणन/प्राक्कलन के सापेक्ष शासन के टी0ए0सी0 वित्त विभाग से परिणोपरान्त अनुमोदित वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग द्वारा अनुमोदन दिये जाने के उपरान्त ही इस प्रकार के कार्यों हेतु वित्तीय स्वीकृति अधीनस्थ कार्यालयों को निर्गत की जायेगी।

क्रमशः.....3

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010-11 के आय-व्ययक अनुदान सं0-27 के लेखाशीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 0105-**''इंटैंसीफिकेशन आफ फॉरेस्ट मैनजमैंट''** (90 प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित) हेतु निम्नलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार संगत मदों के नामे डाला जायेगाः-

(धनराशि ₹ हजार में)

लेखा शीर्षक योजना का नाम	मानक मद	आय-व्ययक प्रावधान	वर्तमान वित्तीय स्वीकृति
2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0105-इंटैंसीफिकेशन आफ फॉरेस्ट मैनजमैंट (90 प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित)	24-वृहत निर्माण कार्य	12870	50
	25-लघु निर्माण कार्य	4550	20
	26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	12520	5502
	29-अनुरक्षण	14920	5283
	42-अन्य व्यय	22150	6690
	44-प्रतिक्षण व्यय	1250	1000
	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	600	500
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	200	200
योग		**69060**	**19245**

(वर्तमान स्वीकृति ₹ एक करोड़ बानवे लाख पैंतालीस हजार मात्र)

3. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-113(P)/XXVII(4)/2010, दिनांक 16 दिसम्बर, 2010 द्वारा प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है.

भवदीय

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव

संख्या- 431 **(1)/X-2-2010, तद्दिनांकित.**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
2. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून.
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
5. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
6. आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल.
7. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
9. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
11. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
12. प्रभारी, मिडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
13. गार्ड फाइल (जे).

आज्ञा से,

(अहमद अली)
अनु सचिव